कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, खूँटी

खूँटी जिला में संचालित पाँच (5) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में कक्षा IX से XII हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

खूँटी जिला के पाँच (5) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (आवासीय) खूँटी, कर्रा, मुरहू, रनियाँ एवं अड़की प्रखण्ड में संचालित है। यह विद्यालय आवासीय व्यवस्था के तहत संचालित है। विभागीय पत्रांक 515 दिनांक 27.10.2016 के आलोक में इन पाँच कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 के छात्राओं के पठन–पाठन हेतु संविदा के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की भाँति कुल नौ (9) विषयों में (विषय हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीवविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल) में शिक्षकों की आवश्यकता है।

2. शिक्षक पदों की रिक्ति –

क्र०	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का नाम	कुल रिक्ति	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	रसायन शास्त्र	भौतिकी	जीवविज्ञान	अर्थशास्त्र	इतिहास	भूगोल
1	खूँटी	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	कर्रा	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	मुरहू	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	रनियाँ	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	अड़की	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल योग		45	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3. शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता – संविदा आधारित शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी०एड० या समकक्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है।
4. स्थानीयता – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 के आलोक में संबंधित अभ्यार्थियों को स्थानीय होना अनिवार्य होगा। अभ्यार्थी को खूँटी जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक होगा।
5. उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाशा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप की जाएगी। आयुसीमा की गणना 01.08.2016 के आधार पर की जाएगी।
6. चयन प्रक्रिया – संबंधित अभ्यार्थी के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा तथा वरीयता सूची एवं खूँटी जिला में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा।
7. वर्त्तमान में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक कार्यरत शिक्षिकाओं को भी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयानुसार की जाएगी।
8. आवेदन के साथ किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
9. इच्छुक अभ्यार्थी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, खूँटी में आवेदन देने की अंतिम तिथि 27.11.2016 अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक / हाथो–हाथ आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के बाद कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
10. संविदा के आधार पर चयन के पश्चात सेवा अवधि 31.03.2017 तक होगी तथा 01.04.2017 से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. मानदेय की राशि केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के देय एवं प्रचलित प्रावधान के अनुरूप अनुमान्य होगा।
12. शिक्षक के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. इस व्यवस्था के तहत कार्य हेतु रखे जाने वाले भविश्य में शिक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति की दावा नहीं कर सकते तथा इस आशय का शपथ पत्र लेने के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जायेगा।
14. आरक्षण का लाभ हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
खूँटी

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
खूँटी